

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर

क्रमांक स्था0/2026/128

दिनांक : 04/05/26

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक G/A-4(i)(a)88/2022/465 दिनांक 18.04.2026 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 14112/2024 और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7564/2023 में पारित आदेशों के अनुपालन में निम्नांकित अभ्यर्थी को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर भर्ती किया जाकर नियुक्ति हेतु भरतपुर न्यायक्षेत्र आवंटित किया गया है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या RHC/EXAM Cell/JJA & Clerk Grade-II/2022/2248 Dated 05.08.2022 एवं नोटिस क्रमांक RHC/EXAM Cell/JrJA /2022/230 Dated 06.02.2026 व राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्नांकित अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में लिपिक ग्रेड-II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F-15(1)FD (Rules)/2017 Dated 30.10.2017 के अनुसार 14,600/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है एवं उसे उसके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-7 में अंकित न्यायालय में पदस्थापित किया जाता है :-

S.N	Roll No.	Name of Candidate (Sarv SH./SMT./MS) & Address	Date of Birth	Category	Gender	Posting Place (COURT NAME)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	175035	ROHIT UPMAN, S/O MAHESH CHAND SHARMA, 219, LAADLI KUNJ, NEAR MILAN GARDEN MARRIAGE HOME, ANIRUDDH NAGAR, BHARATPUR (Raj.)	11-05-1992	EWS	Male	Addl. C.J. & J.M. No.-3, Bharatpur

1. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य, व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
2. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाए जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अंतराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मैट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
3. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गयी है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
4. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाए जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाए जाने पर बिना नोटिस दिए सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
6. राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
7. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
8. नव-नियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
9. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(बलजीत सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भरतपुर(राज0)

क्रमांक स्था0/2026/1964-67
प्रतिलिपि :-

दिनांक 04/05/26

1. प्रभारी अधिकारी, लेखाशाखा/ई-कोर्ट (बेबसाईट पर अपलोड हेतु), जिला न्यायालय, भरतपुर
2. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.03, भरतपुर
3. Sh. ROHIT UPMAN S/O MAHESH CHAND SHARMA, LAADLI KUNJ, NEAR MILAN GARDEN MARRIAGE HOME, ANIRUDDH NAGAR, BHARATPUR (RAJ)
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. आदेश/व्यक्तिगत/संबंधित पत्रावली

(बलजीत सिंह)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भरतपुर(राज0)